न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र स0 02/2022

प्रार्थीया :–

1. कमला देवी पत्नि स्व0 बाबुलाल जाति सरगरा, नि0 भरमपुरी का बास, साण्डिया, तह0 सोजत, जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. भूपेन्द्र पुत्र स्व0 बाबुलाल
2. विनोद पुत्र स्व0 बाबुलाल जाति सरगरा, नि0 भरमपुरी का बास, साण्डिया, तह0 सोजत, जिला पाली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थित :–

01. प्रार्थीया स्वयं उपस्थित।
02. अप्रार्थीगण अनुपस्थित ।

–: निर्णय :– दिनांक 06.07.2022

प्रार्थीया ने प्रा0 पत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश किया कि प्रार्थीया ग्राम भरमपुरी का बास, साण्डिया, तह0 सोजत की निवासी तथा काफी वृद्धावस्था है। जिसकी वर्तमान उम्र 74 वर्ष है, जो अक्सर वृद्धावस्था के कारण बीमार रही है। प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास दिनांक 17.12.2021 को हो चुका है और मेरे दो पुत्र भूपेन्द्र एवं विनोद है जो कि दोनो शादीशुदा है। मेरे पति की मृत्यु उपरान्त से मेरे पुत्रों एवं पुत्रवधुओ ने मेरे साथ मारपीट कर मुझे मेरे पुश्तैनी एवं अपने पति के खरीदसुदा मकान से बेदखल कर रखा है, तब से मै दर–दर भटक रही हूँ, अन्य अपने रिश्तेदारो के पास रह कर अपना जीवनयापन (पेट भर रही हूँ) कर रही हूँ। जब कभी मैं अपने पति के खरीदसुदा मकान में जाती हूं, तो मेरे बेटे एवं बहुएं भारती एवं माधुरी मेरे साथ मारपीट कर मुझे मेरे पति के घर से बाहर निकाल देते है। जिस बाबत मेरे साथ मेरे बेटो और बहुओ द्वारा किये जाने वाले तमाम कुकृत्यों की रिपोर्ट समय समय पर थानाधिकारी, सोजतसिटी को दी गई, उल्टे पुलिस वाले ही मुझे धमकाते रहते है कि डोकरी चुप–चाप पड़ी रह। जिस कारण मेरे बेटो और बहुओ के हौसले बुलन्द है, जिस कारण आये दिन मेरे साथ मारपीट करना, मुझे घसीट कर घर से बाहन निकालना ऐसे कुकृत्य अक्सर करते रहते है। मेरी अंधता की वजह से मैं स्वयं मजदूरी कर पेट भरने में असमर्थ हूँ। मेरे पति के खरीदसुदा मकान व अन्य प्रोपर्टी को मेरे बेंटो ने हड़प कर रखा है, मुझे घर से बेघर कर रखा है। मुझे दो टाईम की रोटी तक नही दे रहे है। मेरे पास कुछ भी होता है तो मेरी अंधता का फायदा उठा कर वो लोग मेरे से छिन्न लेते है। मेरी कोई मदद करता है तो वे लोग मेरी मदद करने वालो को डराते धमकाते है, जिस कारण दुसरे लोग भी मेरी सहायता नही कर पाते है। अतः

उप खण्ड अधिकारी

आप मेरे बेटो भुपेन्द्र एवं विनोद से मुझे प्रतिमाह 5000/– रूपये भरण पोषण के दिलाये जाने व मेरे बेटे बहुओ को मेरे पति के खरीदसुदा मकान से बाहर निकालने की ईश्तदुआ की है। ताकि मै नेत्रहीन वृद्धा अपने पति के मकान में सुख–चैन से रह सकूॅ, साथ ही मेरे बेटे भुपेन्द्र, विनोद एं पुत्रवधओं भारती, माधुरी को पाबंद करे कि वे सभी लोग मुझ वृद्धा के साथ किसी प्रकार का कुकृत्य नहीं करें। इस प्रकार प्रा0 पत्र पेश कर हस्ब प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर भरण–पोषण की व्यवस्था कर सुरक्षा की व्यवस्था किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। दिनांक 06.07.2022 को जरिए रजिस्टर्ड एडी डाक विभाग द्वारा नोटिस तामिली/सूचना अप्रार्थीगण को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 06.07.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

बहस उपस्थित प्रार्थीया की सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया ने अपने बेटों भुपेन्द्र एवं विनोद से प्रतिमाह 5000/– रूपये भरण पोषण के दिलाये जाने व बेटे बहुओ को उसके पति के खरीदसुदा मकान से बाहर निकालने की ईश्तदुआ की है। प्रार्थीया ने प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 स्वीकार किये जाने तथा अप्रार्थीगण संख्या 01, भुपेन्द्र व 02, विनोद द्वारा प्रतिमाह 2000–2000/– रूपये प्रार्थीया को भरण–पोषण का खर्चा बतौर प्रतिमाह देने हेतु आदेशित किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं समस्त दस्तावेजात प्रार्थीया को प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में सुना गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 को भरण–पोषण हेतु खर्चा प्रदत किये जाने से सम्बद्ध आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का प्रस्तुत प्रा0 पत्र अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 स्वीकार किये जाने तथा अप्रार्थीगण संख्या 01, भुपेन्द्र व 02, विनोद द्वारा प्रतिमाह 2000–2000/– रूपये प्रत्येक से प्रार्थीया को भरण–पोषण का खर्चा बतौर प्रतिमाह प्रार्थीया के बैंक खाते में अदा/जमा करवा करवाने हेतु पाबंद किया जाकर पालना मंगवाई जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

–:आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया का प्रस्तुत अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 01, भुपेन्द्र व 02, विनोद द्वारा प्रतिमाह 2000–2000/– रूपये प्रार्थीया को भरण–पोषण का खर्चा बतौर प्रतिमाह देने हेतु आदेशित किया जाता है। जो प्रत्येक माह प्राप्ति रसीद सत्यापित करके न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करेंगें। उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, सोजत को भिजवाई जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज